2025/713

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 407 /2025

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थी-
ग्राम पंचायत खारिया मीठापुर		सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थी- ग्राम पंचायत खारिया मीठापुर
अप्रार्थी- तहसीलदार बिलाडा

निर्णय दिनांकः- 17/09/25

यह प्रकरण तरमीम शुद्धि के तहत ग्राम पंचायत खारिया मीठापुर द्वारा खसरा नंबर 1742/3 व 1742/4 ऑनलाईन नक्शे में गलत तरमीम के स्थान पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आवंटन आदेश के अनुसार तरमीम करने हेतु प्रकरण प्राप्त हुआ। उक्त प्रकरण को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रकरण के संबंध में तहसीलदार बिलाडा को दिनांक 3.2.2025 को तहरीर जारी की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाडा द्वारा पालना रिपोर्ट प्रेषित की। उक्त प्रकरण के संबंध में ग्राम पंचायत के जवाब हेतु तहरीर जारी की गई।

पत्रावली का अध्ययन किया गया, राजस्व रेकर्ड एवं मौका निरीक्षण किया गया। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कार्यालय हाजा के पत्रांक आबादी/विस्तार/2013/233 दिनांक 28.01.2013 से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर को भिजवाये गये प्रस्ताव में नक्शा ट्रेस की प्रपत्र 1 (एक) के अनुसार प्रस्तावित है। परन्तु नामान्तरकरण सं. 4353 की पुस्त पर अंकित नक्शा लटठा प्रपत्र 2 (ए) के अनुसार अंकित की गई। इसी अनुसार नक्शा लटठा (प्रपत्र 3) तरमीम अंकित की गई तथा नक्शा लटठा के अनुसार ही वर्तमान भू नक्शा प्रपत्र 4 में भी अंकित की गई है। प्रपत्र 2 (ए) 3 तथा 4 तरमीमें प्रथम प्रस्तावित नक्शा एक के अनुसार नहीं है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अतः वर्तमान भू नक्शा में अंकित तरमीम को संशोधित कर तहसील कार्यालय के प्रस्ताव दिनांक 28.01.2013 के अनुसार करने के आदेश के लिए अनुशंषा की जाती है। ग्राम पंचायत खारिया मीठापुर द्वारा जवाब प्राप्त हुआ, जिसमें ग्रम पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण में प्रस्ताव सं. 6 में बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2013 में आबादी भूमि के आवंटन करने के संबंध में प्रस्ताव भेजे गये थे परन्तु उस समय आंवटित की गई आबादी भूमि के खसरा सं. 1742/3 व खसरा सं0 1742/4

में भूमि आवंटित करते समय अधिक संख्या में परिवार को सम्मिलित न करते हुये तरमीम कर दी गई जिस कारण से ग्रामीण आबादी भूमि होने पर मिलने वाले लाभों से वंचित रह गये। अतः उक्त खसरों में मुख्य आबादी को ध्यान में रखते हुये ही आबादी भूमि का सीमांकन/संशोधन की गई आबादी भूमि में शेप परिवर्तन किया जावें।

पत्रावली का अध्ययन किया गया। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में प्रस्ताव दिनांक 28.01.2013 के अनुसार तरमीम के आदेश किये जाने हेतु अनुशंषा की है। ग्राम पंचायत खारिया मीठापुर द्वारा ग्राम सभा बैठक में सभी सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि राजस्व ग्राम खारिया मीठापुर के खसरा नंबर 1742/4 की ऑनलाईन नक्शे में गलत तरमीम को पटवारी रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रस्ताव के अनुसार सही तरमीम किया जाना उचित रहेगा।

<u>आदेश</u>

अतः तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वो ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 1742 में से आवंटित खसरा नंबर 1742/4 किस्म गै.मु. आबादी की तरमीम प्रस्ताव दिनांक 28.01.2013 के अनुसार तरमीम दुरूस्त कर शीघ्र से शीघ्र न्यायालय के समक्ष पेश करे। तहसील कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 28/01/2013 को इस निर्णय का भाग समझा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 17/09/15 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा